श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

डॉ० विनोद प्रसाद यादव
माननीय मंत्री

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15

वार्षिक कार्यक्रम 2015–16

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Budget 2024-25\Varshik prativedan all pdf\Varshik prativedan Panchayati Raj Department\2014-15\Varshik_Prativedan_2014-15.doc

प्रस्तावना

संविधान के 73वें संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया है। सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किए गये हैं। महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों में सदस्यों एवं अध्यक्षों के स्थानों में यथाशक्य पचास प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों के कार्यो एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है। पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तरों से निधियाँ उपलब्ध करायी जा रही है, जिनसे पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ मूलभूत आवश्यकताओं के विकास में अह्म योगदान दे रही हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतें प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी हैं। राज्य में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०), मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री अन्नकलश योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं विद्यालय शिक्षा समिति आदि के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य भूमिका दी गई है। सामाजिक प्रक्षेत्रों के अन्य कार्यक्रमों में योजना निर्माण एवं अनुश्रवण का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। पंचायतें अपने आर्थिक संसाधन स्वयं उत्पन्न कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार शीध्र ही उन्हें कतिपय मामलों में कर/फीस अधिरोपित करने का अधिकार देने जा रही है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायत के प्रतिनिधियों को लोकसेवक घोषित किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी डर के सम्यक रूप से कर सकें, इस हेतु उनसे संबंधित मामलों की जाँच एवं कार्रवाई करने हेतु मानक प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी हैं। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में अनावश्यक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़े। पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण एवं पंचायती राज संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु बिहार पंचायत (कार्यालय का

निरीक्षण एवं मामलों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली बनायी गयी है। प्रतिनिधियों/कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं इस कार्य के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिनव प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र तथा जिला मुख्यालयों में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई–मिशन मोड लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी पंचायतों के लेखा, योजनाओं एवं कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य चल रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधक, हरेक जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा प्रखंड स्तर पर आई०टी० ऑपरेटर की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए तथा अभिनव प्रयोगों को लागू करने हेतु एक स्वतंत्र बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में विश्व बैंक के सहयोग से राज्य के छः जिलों यथा पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में क्षमतावर्द्धन एवं आधारभूत संरचना विकास संबंधी गतिविधियों को लागू किया जा रहा है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक धटना या दुर्धटना से हुई मृत्यु की स्थिति में एक लाख रूपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में उनके आश्रित को दी जाएगी। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से उन्हें परिचय पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें चौकीदारों की सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं, जो ग्राम कचहरियों के नोटिस, आदि का तामिला सुनिश्चित करेंगे। ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था के प्रमुख हैं। इस दृष्टिकोण से उनकी विशिष्ट पहचान हेतु उन्हें न्याय पगड़ी देने की व्यवस्था की गयी है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता को अनवरत जारी रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पिछली अवधि में चयनित न्यायमित्रों को ग्राम कचहरी की कार्यावधि समाप्त हो जाने के बाद नये सिरे से न्यायमित्रों का नियोजन होने तक सभी पंचायतों में विहित शर्त्तो के अधीन कार्यरत रखा जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु ये प्रयास जारी रखे जाएंगे।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में विभिन्न प्रक्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों को संकलित किया गया है।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ0 विनोद प्रसाद यादव)

मंत्री,

पंचायती राज विभाग।

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

1.	सामान्य विवरण	1
2.	बी० आर० जी० एफ०	1
3.	तेरहवाँ वित्त आयोग	3
4.	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	4
5.	बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण)	5
6.	राजीव गाँधी पंचातय सशक्तिकरण योजना (RGPSA)	7
7.	शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण	11
8.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	13
9.	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में संशोधन	14
10.	नियमावलियों का गठन	15
11.	प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन	15
12.	पंचायत उप–चुनाव	16
13.	सूचना का अधिकार	16
14.	जन–शिकायत से संबंधित आवेदन	17
15.	ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट	17
16.	पंचायत सरकार भवन	19
17.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	20
18.	उपलब्धि	21

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्त्तमान में 38 जिला परिषदें, 531 पंचायत समितियाँ, 8398 ग्राम पंचायतें एवं 8398 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में योजना मुख्य शीर्ष 2515, 4515 एवं गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत ₹120072.94 लाख (बारह अरब बहत्तर लाख चौरानबे हजार रुपये) मात्र की राशि का योजना उद्व्यय है। गैर योजना मद में मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 के अन्तर्गत ₹311548.35 लाख (इकतीस अरब पन्द्रह करोड़ अड़तालीस लाख पैंतीस हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. बी० आर० जी० एफ०

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कोष कार्यक्रम (बी० आर० जी० एफ०) का मूल उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिले शामिल हैं।

बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के दो घटक हैं : (i) अनाबद्ध निधि (ii) क्षमता निर्माण निधि।

(i) अनाबद्ध निधि (Untied Fund) :–

अनाबद्ध निधि का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इसके अंतर्गत जिलों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से तैयार की गई योजनाओं को समन्वित कर प्रत्येक जिला के लिए जिला योजना तैयार की जाती है। इस जिला योजना पर संबंधित जिला की जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरांत भारत सरकार से प्राप्त विकास अनुदान को जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

विकास अनुदान का वितरण प्रत्येक जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2007–08 में जिले की पंचायत घटक की राशि का वितरण त्रिस्तरीय पंचायतों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 92:6:2 के अनुपात में किया गया था। परन्तु जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के सदस्यों की मांगों तथा बी० आर० जी० एफ० निधि के युक्तिसंगत ढंग से बँटवारे के प्रश्न को दृष्टिपथ में रखते हुए वर्ष 2008–09 से प्रत्येक जिले की पंचायत घटक की राशि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद्ों के बीच क्रमशः 70:20:10 के अनुपात में वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम सहित विभाग के नियंत्रणाधीन अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संकल्प संख्या 9221 दिनांक 19.11.2014 द्वारा नये सिरे से तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों को प्रत्यायोजित किया गया है। संकल्प में अन्य बातों के साथ ग्राम पंचायतों द्वारा ली जा रही ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को प्राधिकृत किया गया है।

(ii) क्षमतावर्द्धन निधि (Capacity Building Fund)

बी.आर.जी.एफ. क्षमतावर्द्धन निधि का उपयोग मूलतः नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी, लेखांकन, जवाबदेही तथा पारदर्शिता में सुधार की क्षमता जुटाने में किया जाना है। इस

गतिविधि से त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं इनमें कार्यरत कर्मियों का क्षमतावर्द्धन हो सकेगा एवं वे अपने दायित्व को निभाते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर रूप से एवं ससमय कर सकेंगे। इस हेतु विभागीय कार्यकारी निदेश के आलोक में लगभग 1.45 लाख ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 फरवरी, 2015 से जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निदेश भेजा गया है। इस प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों को प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) भी उपलब्ध कराया गया है।

बी.आर.जी.एफ. क्षमतावर्द्धन घटक हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 की ₹79.66 करोड़ (उन्नासी करोड़ छियासठ लाख रूपये) मात्र की राशि की वार्षिक कार्य योजना (Annual Works Plan) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (H.P.C.) से अनुमोदित कराकर भारत सरकार को भेजी गयी है। वार्षिक कार्य योजना (वर्ष 2014–15) के आलोक में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से कर्णांकित राशि कुल ₹38.00 करोड़ (अड़तीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का अनुदान मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत विकास अनुदान मद में ₹379.44 करोड़ (तीन अरब उन्यासी करोड़ चौवालीस लाख रुपये) मात्र की राशि एवं क्षमतावर्द्धन मद में ₹20.56 करोड़ (बीस करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत की गयी है।

3. तेरहवाँ वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 की सामान्य बुनियादी अनुदान के रूप में ₹828.2317 करोड़ (आठ अरब अट्ठाईस करोड़ तेईस लाख सतरह हजार रूपये) मात्र की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 की सामान्य निष्पादन अनुदान की भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹726.2648 करोड़ (सात अरब छब्बीस करोड़ छब्बीस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की राशि अर्थात कुल ₹1554.4965 करोड़ (पन्द्रह अरब चौबन करोड़ उनचास लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र की राशि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत राशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

(i) चूंकि तेरहवें वित्त आयोग का कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है, अतएव राज्य की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अवशेष राशि की अधिसीमा में ही निम्नांकित कार्य में से कोई भी कार्य लिये जा सकेंगे ताकि कोई Liability न हो –

- आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण
- बसावटों में PCC पथ/इन्टरलोकिंग टाईल्स पथ एवं नाला निर्माण।
- 250 से कम की आबादी वालें टोलों का मुख्य पथ से सम्पर्क पथ पी०सी०सी० या इन्टरलोकिंग टाईल्स सड़क।
- प्रखंड स्तर पर प्रखंड परिसरों में अवस्थित सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार एवं वार्षिक रखरखाव (पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त)।
- जिला परिषदों के उपयोग हेतु जिला परिषद का सभाकक्ष एवं आई०टी० सेंटर की स्थापना।
- जिला परिषद के डाकबंगले का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव।

(ii) कार्यहित में अनुमान्य कार्यों की सूची को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 'उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति'' द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹2269.18 करोड़ (बाईस अरब उनहत्तर करोड़ अठारह लाख रूपये) मात्र की राशि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

4. मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम

राज्य के सभी गाँवों एवं टोलों की गलियों एवं नालियों के पक्कीकरण करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद् द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्य कार्यक्रम को वर्ष 2010 में स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्राम पंचायतों द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की कर्णांकित राशि के अधीन जितनी राशि की योजना गाँव के नालियों एवं गलियों का पक्कीकरण तथा/अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए ली जायेगी, ठीक उतनी ही राशि वैसी ही अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ग्रामोद्य कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में कुल ₹61.00 करोड़ (इकसठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं

बजटीय उपबंध के अधीन राज्य के बत्तीस जिलों की योग्य ग्राम पंचायतों को कुल ₹19295.00 लाख (एक अरब बानवे करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में भोजपुर तथा रोहतास जिलों को कुल ₹1375.00 लाख (तेरह करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्‌य कार्यक्रम अंर्तगत तत्काल ₹25.00 करोड़ (पचीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

5. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण)

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से राज्य के छः जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा) के 91 प्रखण्डों के 1304 ग्राम पंचायतों में विश्व बैंक की ऋण सहायता से परियोजना का 70 प्रतिशत अर्थात 84 मिलियन यू0एस0डॉलर अर्थात् लगभग ₹467.21 करोड़ (चार अरब सड़सठ करोड़ इक्कीस लाख रूपये), राज्य अंशदान से परियोजना का 30 प्रतिशत अर्थात 36 मिलियन यू0एस0डॉलर अर्थात् लगभग ₹200.23 करोड़ (दो अरब तेईस लाख रूपये) अर्थात् कुल 120 मिलियन यू0एस0 डॉलर (प्रति यू0एस0 डॉलर ₹55.62 की विनिमय दर से ₹667.44 करोड़) मात्र की राशि से "बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु विश्व बैंक के साथ एकरारनामा कर लिया गया है। इस परियोजना से पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होगी, पारदर्शिता से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा आम लोगों की कारगर ढ़ंग से साझेदारी सुनिश्चित होगी।

परियोजना में निम्नांकित अवयवों पर कार्य किये जा रहे हैं :–

(क) **<u>पंचायत सरकार भवन :–</u>** परियोजना अन्तर्गत पंचायत सरकार भवन के निर्माण का दायित्व भवन निर्माण विभाग को दिया गया है। कुल ₹278.10 करोड़ (दो अरब अठहत्तर करोड़ दस लाख रूपये) मात्र की राशि (विश्व बैंक से प्राप्त ऋण–₹194.67 करोड़ (एक अरब चौरानबे करोड़ सड़सठ लाख रूपये) तथा राज्य सरकार के अंशदान से ₹83.43 करोड़ (तेरासी करोड़ तेतालीस लाख रूपये)) मात्र की राशि की लागत से करीब 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा। छः जिलों से अब तक प्राप्त कुल 212 भूमि उपलब्धता संबंधी विवरणी भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध करायी गयी है।

(ख) पंचायतों का क्षमतावर्द्धन :–

(i) संस्थागत क्षमतावर्द्धन :– पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत संबंधी मौलिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जा रही है। पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण पर प्रशिक्षण मॉड्यूल भी सोसाईटी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नियमावली एवं अन्य तकनीकी कार्यो में सोसाईटी द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

परियोजना अंतर्गत लोक संचार (Mass Communication) के प्रयोग द्वारा लोगों तक पंचायत संबंधित जानकारी पहुँचाने तथा प्रचार प्रसार सामग्री तैयार करने हेतु सहयोगी संस्थान (Support Oraganisition) के चयन हेतु विश्व बैंक के क्रय नियमावली एवं सोसाईटी के क्रय हस्तक अन्तर्गत Quality -Cum- Cost Based Selection Method द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति के आग्रह के विरूद्ध प्राप्त 32 इच्छा की अभिव्यक्यिों के मूल्यांकन के पश्चात एजेंसियों का क्रय नियमावली अनुरूप Request for Proposal निर्गत करने हेतु सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों को तय मानक अनुरूप सूचीबद्ध कर क्रय समिति द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है। तत्पश्चात सूचीबद्ध एजेंसियों से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्ति हेतु विश्व बैंक के Standard Bidding Document के प्रारूप में Request for Proposal तैयार कर विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु भेजा जा चुका है। विश्व बैंक को भेजे गए विभिन्न कार्य हेतु पाँच Request for Proposal में से दो पर अनापत्ति प्राप्त हुई है तथा अन्य तीन के विषय में विश्व बैंक ने पुनः समाचार पत्रों में Corrigendum प्रकाशन हेतु निदेशित किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आन्तरिक अनुमोदन प्राप्त कर चयनित एजेन्सियों को Request for Proposal निर्गत किया जाएगा।

(ii) पंचायतों की विकासात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण :– परियोजना अन्तर्गत पंचायतों के विकासात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण करने हेतु विशुद्ध पेय जल, स्वच्छता एवं पोषण जैसे कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना अन्तर्गत विशुद्ध पेय जल, स्वच्छता एवं पोषण हेतु सहयोगी संस्थान (Support Organisation) की सेवा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके लिए Terms of Reference का प्रारूप तैयर किया गया है। इस पर विश्व बैंक की अनापत्ति प्राप्त है।

(ग) शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन :–पंचायतों को सशक्त,

उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने हेतु सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। इस हेतु बजट एवं लेखा नियमावली का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) पंचायत परफॉर्मेन्स ग्रांट :— परियोजना अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु पारितोषिक अनुदान वर्ष 2015—16 में दिया जाना है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को उनके वर्ष भर के कार्यों का आकलन कर पुरस्कृत किया जायगा।

(ङ) परियोजना का प्रबंधन एवं समन्वयन :—

परियोजना की संस्थानिक संरचना ग्राम स्तर से होते हुए प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय है जिसका कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग के तहत गठित **'बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'** के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में अब तक छः राज्य परियोजना प्रबंधको की नियुक्ति की गई है तथा राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर कुल 85 पदों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में परियोजना अन्तर्गत अगले चरण की कुल 350 पदों की नियुक्ति हेतु एच0आर0एजेन्सी का चयन कर लिया गया है तथा नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च, 2015 से प्रारंभ कर ली जाएगी। परियोजना का कार्यालय तृतीय तल, बिस्कोमान टावर, गाँधी मैदान, पटना में है।

पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदधारकों के प्रशिक्षण, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की सहायता से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2015—16 में ₹618.38 करोड़ (छः अरब अठारह करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र की राशि व्यय करने का कार्यक्रम है।

6. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (RGPSA)

(क) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन के दृष्टिकोण से **''राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान''** केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2013—14 से बिहार राज्य में लागू की गई है।

योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा के सुदृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, आधारभूत ढाँचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण आदि का प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज विभाग के स्तर से इस योजना की दीर्घकालीन परियोजना पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी है। इस योजना में वर्ष 2013–2017 में कुल ₹1629.30 करोड़ (सोलह अरब उन्नतिस करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय प्रस्तावित है जिसमें केन्द्रांश ₹1221.98 (बारह अरब एक्कीस करोड़ अन्ठानवे लाख रूपये) मात्र की राशि तथा राज्यांश ₹407.32 करोड़ (चार अरब सात करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र की राशि प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में कुल ₹861.00 लाख (आठ करोड़ एकसठ लाख रूपये) मात्र की राशि भारत सरकार से योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त हुई है जिसमें से अभी तक कुल व्यय राशि लगभग ₹3.00 करोड़ (तीन करोड़ रूपये) मात्र की राशि है।

वर्ष 2014–15 की कार्य योजना हेतु भारत सरकार द्वारा कुल ₹18573.35 लाख (एक अरब पच्चासी करोड़ तेहत्तर लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र की राशि अनुमोदित की गई है जिसके केन्द्रांश के प्रथम किश्त की 50% राशि माह नवम्बर, 2014 में ₹5452.42 लाख (चौवन करोड़ बावन लाख बयालीस हजार रूपये) मात्र की राशि राज्य को प्राप्त हुई है।

योजनान्तर्गत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् हैः–

(i) **Construction & Repair of GP building** :- 15 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से कुल 74 पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है।

(ii) **Capacity Building and Training** :-चार विभिन्न मॉड्यूल्स पर पाँच–पाँच दिवसीय ToT सभी मास्टर रिसोर्स परसन (MRP) एवं जिला स्तर पर जिला रिसोर्स परसन (DRP) को प्रदान की गयी है।

मास्टर रिसोर्स परसन प्रशिक्षकों हेतु कौशल विकास विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राज्य के बाहर Exposure Visit का आयोजन किया गया है जिसके अन्तर्गत अभी तक 51 स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिग्रीधारक मुखिया को दो समूह में महाराष्ट्र तथा राजस्थान की अच्छी पंचायतों का भ्रमण कराया जा चुका है। राज्य के अंदर भी Exposure Visit की कार्रवाई की जानी है।

पंचायतों में मानव संसाधन की तैनाती के समय सभी कर्मियों को ई–पंचायत तथा कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना बनाई गई है।

(iii) Institutional structure :- राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) की स्थापना हेतु किराये के भवन के लिए विज्ञप्ति दिनांक 29.10.14 के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी जिसमें प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.11.14 निर्धारित की गई थी। उक्त क्रम में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। SPRC के निर्माण हेतु डिजाईन तथा प्राक्कलन के लिए योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत LAEO को पत्र भेजा गया है तथा भूमि के चयन की भी कार्यवाही की जा रही है।

प्रत्येक जिले में ₹2 करोड़ की राशि से एक जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिसके प्रथम चरण में कुल 20 DPRC की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारियों को भूमि के चयन के संबंध में पत्र भेजा गया है।

वर्ष 2014–15 की कार्य योजना अंतर्गत कुल 120 प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) अनुमोदित हैं। प्रथम चरण में प्रत्येक अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड तथा एक एक अतिरिक्त ऐसे जिले के प्रखंड जहाँ पूर्व से जिला पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अधिसूचित है, में स्थापित किये जाने हेतु जिलों को मार्गदर्शिका भेजी जा चुकी है।

(iv) E-enablement of Panchayats :-इस मद में कुल **1830** पंचायतों को कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. दिये जाने का प्रावधान है जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

(v) IEC Activity :- चार विषयों, यथा ग्राम सभा का सक्रियण, लिंग भेद तथा सामाजिक पहचान संबंधी चुनौतियां, विकास योजनाएँ एवं पंचायती राज व्यवस्थायें एवं लेखा व्यवस्थायें एवं महत्त्वपूर्ण व्यवस्थागत प्रक्रियायें, पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा एक प्रशिक्षकों हेतु संदर्शिका तैयार कर प्रकाशित की गई है, जिस पर आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा चुके हैं।

रेडियो मिर्ची के माध्यम से नब्बे दिनों का IEC Campaign राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के प्रचार–प्रसार हेतु किया गया है।

समाचार–पत्रों में भी राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के विषय में विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

प्रखंड एवं पंचायत स्तर हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री तथा DAVP एवं IPRD द्वारा अनुमोदित दरों पर IEC Campaign की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।

(vi) Administrative & Technical Support at GP level :- प्रत्येक पंचायत पर एक पंचायत सहायक, एक लेखापाल–सह–डाटा इण्ट्री ऑपरेटर तथा प्रत्येक दस पंचायत पर एक कनीय अभियंता की नियुक्ति HR Agency के माध्यम से संविदा के आधार पर किये जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनायी गयी किन्तु माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में इस प्रक्रिया को तत्काल में स्थगित करते हुए नयी रणनीति तैयार की जानी है।

(vii) Programme Management:- राज्य स्तर पर e-Panchayat हेतु SPMU का गठन तथा जिला स्तर पर DPMU का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 42 मानव संसाधन कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से पंचायतों में लागू होनेवाले दस applications लागू किए गए हैं। बिहार राज्य को वर्ष 2013–14 की e-Panchayat के क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिए e-Panchayat पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु RGPSA को केन्द्रीय सहायता सूची से Delist कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत तत्काल ₹189.2099 करोड़ (एक अरब नवासी करोड़ बीस लाख निन्यानबे हजार रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ख) पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार –

योजना अन्तर्गत तीनों स्तर से चयनित पंचायतों को उनके द्वारा अच्छे कार्यों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर समिति की अनुशंसा निर्धारित मानक के आधार पर किये जाने का प्रावधान है। इस आधार पर चयनित पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2013–14 के लिए 5 (पाँच)

ग्राम पंचायत, 2 (दो) पंचायत समिति एवं 3 (तीन) जिला परिषद् का चयन कर अनुशंसा भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

7. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

वर्तमान में अगस्त, 2014 में विभाग द्वारा कराये गये एक अध्ययन के अनुसार त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त शक्तियों (कार्य, कर्मी एवं निधि) की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः–

विभिन्न विभागों द्वारा अभी तक कुल 621 प्रकार की जिम्मेदारियाँ अलग–अलग समय में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गयी है जिनमें लाभार्थियों के चयन, वित्तीय शक्तियों, लाभार्थियों को देय लाभ का अनुमोदन/पुष्टि करना अथवा स्वीकृति देना, नियोजन/योजना तैयार करना, संस्थागत ढाँचों का निर्माण, कार्यक्रमों का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य, परिसम्पतियों का रख–रखाव एवं सुरक्षा आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न विभागों को प्रतिनिधायनित कार्यों/दायित्वों/कर्मियों पर नियंत्रण आदि के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु कहा गया है ताकि कार्यान्वयन में किसी स्तर पर कठिनाई नहीं हो।

पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से उनके क्षमतावर्द्धन की भी व्यवस्था की गयी है। समय–समय पर पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायतों में कार्यरत कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र भ्रमण आदि का आयोजन किया जाता रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.02.2013 को की गई घोषणाओं के आलोक में पंचायतों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी वित्तीय शक्तियों को ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) से बढ़ाकर ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) कर दिया गया है। इससे संबंधित कार्यालय आदेश 9221 दिनांक 19.11.2014 निर्गत किया गया है।

आदेश में दी गई वित्तीय शक्तियाँ निम्नवत् हैं:–

(i) ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत को एवं तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति कनीय अभियंता को प्रत्यायोजित की गयी है।

(ii) ग्राम पंचायत की ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि से अधिक की योजनाओं तथा पंचायत समितियों की एवं जिला परिषद्ों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरूद्ध उल्लेखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं:–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति का स्वरूप	सीमा राशि
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख रू0 तक
4	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
5	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
6	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख रू0 तक

(iii) पाँच लाख रूपये तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन नियोजित अभियंताओं की सेवा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (Bihar Rural Development Society)/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (District Rural Development Authority) में कार्यरत अभियंता की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

(iv) सभी चालू योजनाओं की मापी के लिए विभाग द्वारा नियोजित अभियंता अथवा सरकारी सेवा में कार्यरत/ बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी

(Bihar Rural Development Society)/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (District Rural Development Authority) अन्तर्गत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सक्षम होंगे।

(v) योजनाओं की अंतिम मापी एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा पारित किया जाएगा, जो संबंधित योजना में तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्यून हो।

पंचायतों को शक्तियों का प्रभावी प्रतिनिधायन किये जाने की दिशा में विभाग लगातार प्रयासरत है। दिनांक 28.07.2014 को मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ गहनता से बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा ठोस निर्णय लिये गये। निर्णय के आलोक में संबंधित विभाग पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों के प्रभावी प्रतिनिधायन हेतु ऑपरेशनल गाईडलाईन्स तैयार करेंगे। प्रथम चरण में कुल 12 विभागों यथा पंचायती राज, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाजिक सुरक्षा और निशक्तता निदेशालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लघु जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पर्यावरण एवं वन विभाग को चिन्हित किया गया हैं।

8. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संषोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देष्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से षक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/ जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके

द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विषेष मानदेय की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3466 दि० 11.06.2013 द्वारा दी गई है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में मानदेय भुगतान के लिए ₹1,94,88,22,200 करोड़ (एक अरब चौरानवे करोड़ अठासी लाख बाईस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है, जो E-transfer के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को देय होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्ष 2012–13 तक स्वीकृत मानदेय की दर को बढ़ाकर वर्ष 2013–14 में दुगुना कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष–2014–15 में भी इस कार्यक्रम के तहत ₹1,95,00,00,000 (एक अरब पंचानवें करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी गई है, तदनुसार सभी उप विकास आयुक्त–सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु तत्काल इस मद में ₹175.00 करोड़ (एक अरब पचहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

9. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में संशोधन

वर्ष 2014–15 में उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं –

(क) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 127 में संशोधन (बिहार अधिनियम 11, 2014) ।

(ख) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5), धारा 44(4) एवं धारा 70(5) में संशोधन (बिहार अधिनियम 7, 2014)।

10. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(v) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vi) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(vii) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(viii) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(ix) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(x) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xi) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली,2014

11. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ/पद सृजन

(1) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। रिक्तियों के संबंध में जिलों से अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को पंचायत सचिवों के 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है।

अभी पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा दायर याचिका के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी है, जो अभी विचाराधीन है।

(2) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लिपिक–सह–रोकड़पाल का पद सृजन प्रस्तावित है।

12. पंचायत उप चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरियों के कुल 2226 रिक्त पदों के लिए उप चुनाव सरकार की अधिसूचना संख्या 574 दिनांक 30.01.2015 द्वारा 1 मार्च 2015 को सम्पन्न कराये गये है।

13. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) **विभाग (मुख्यालय) स्तर पर** :–

- (i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव
- (ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
- (iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – प्रधान सचिव

(2) **जिला परिषद् स्तर पर** :–

- (i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्
- (ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) <u>**पंचायत समिति स्तर पर**</u> :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) <u>**ग्राम पंचायत स्तर पर**</u> :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

14. जन शिकायत से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014–15

क्र0	**आवेदनों का वर्गीकरण**	**प्राप्त आवेदनों की स्थिति**		
		प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	**कुल निष्पादित**	**शेष आवेदन पत्रों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	मुख्यमंत्री सचिवालय	408	06	402
2	जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम	120	16	104
3	राज्यपाल सचिवालय	33	0	33
4	मंत्री पंचायती राज	12	01	11
5	मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग	11	03	08
6	अन्य श्रोतों से	78	01	77
कुल योग :–		**662**	**27**	**635**

स्तभं–5 में दर्शाये गये आवेदन पत्रों पर जिला स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, जिसे सभी जिलों को निष्पादन/ कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

15. ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय ई–शासन प्रणाली के तहत पंचायतों को **ई–समर्थ** (e-Enable) बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट** की शुरूआत की गई ताकि पंचायती राज संस्थाओं के तीनो स्तर (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत संस्था) बेहतर

काम–काज एवं नागरिक सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए कार्य प्रवाह की अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकें जिससे उनके कार्य में पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि हो सके। ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार की संस्था National Informatics Center (NIC) द्वारा 10 Software Applications यथा– National Panchayat Portal, PlanPlus, National Asset Directory, Service Plus, Training Management, PRIASoft, Social Audit and Meeting Management, Action Soft, Area Profiler एवं Local Government Directory को विकसित किया गया है। इन्हीं Software Applications के समेकित स्वरूप को **Panchayat Enterprise Suite (PES)** नाम दिया गया है।

e-Panchayat MMP के तहत PES के 10 Applications, जिसमें PRIASoft (MAS) भी है, के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर State Project Management Unit (SPMU) एवं District Project Management Unit (DPMU) का गठन किया गया है। ई–पंचायत एम0एम0पी0 के तहत PES के 10 Applications के कार्यप्रगति के अनुश्रवण एवं तकनीकी परामर्श हेतु SPMU स्तर पर 4 परामर्शी एवं DPMU स्तर पर 35 जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPMs) कार्यरत हैं। डाटा प्रविष्टि का कार्य करने हेतु जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर कुल 471 प्रशिक्षित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। इन कर्मियों के माध्यम से राज्य में e-Panchayat Mission Mode Project को क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा है।

इस कार्य से संबद्ध DPMs एवं IT Operators को PES के सभी Applications में प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक जिले में 10 की दर से **कुल 377 मास्टर प्रशिक्षकों** को तैयार किया गया है जिनके द्वारा आवश्यकतानुसार सम्बद्ध पदाधिकारियों/कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रियासॉफ्ट एप्लीकेशन का मूल उद्देश्य **मॉडल एकाउंटिंग सिस्टम (MAS)** के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के तीनो स्तरों पर विविध योजनाओं में व्यय होने वाली राशि के अनुश्रवण हेतु अभिश्रव एवं रोकड़ बही का कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में 33 जिला परिषदों, 497 पंचायत समितियों एवं 7888 ग्राम पंचायतों में डाटा प्रविष्टि का कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

प्लान प्लस एप्लीकेशन में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों से अनुमोदित बी0आर0जी0एफ0 एवं तेरहवें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं का डाटा प्रविष्टि किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस एप्लीकेशन से संबंधित 90% कार्य समाप्त हो चुका है। 2014–15 के लिए डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन में पंचायती राज के तीनों स्तरों से प्राप्त बी0आर0जी0एफ0 की योजनाओं को DPC द्वारा अनुमोदित किया जाता है और अनुमोदित योजनाओं के साथ Fund

allocation किया जाता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अनुमोदित योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय संचालन का अनुश्रवण किया जाता है। इस एप्लीकेशन में आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

<u>लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्ट्री एप्लीकेशन</u> में पंचायती राज के तीनों स्तरों के Entity (ईकाई) Mapping की जाती है। इस एप्लीकेशन में Mapping of Villages to Gram Panchayat, Updation of List of Panchayat, Mapping of Gram Panchayat to Assembly Constituencies & Parliamentary Constituencies से संबंधित डाटा प्रविष्टि का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के Mapping का कार्य प्रगति पर है।

<u>एरिया प्रोफाईलर एप्लीकेशन</u> में त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के भौगोलिक क्षेत्रों, जनसांख्यिकी आंकड़ों एवं जनप्रतिनिधियों के बायोडाटा की प्रविष्टि की जाती है। वर्तमान में Local Govt Profile में 82%, Local Govt employee में 37% एवं Tourist Places में 62% आँकड़ों की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण हो चुका है।

<u>नेशनल पंचायत पोर्टल एप्लीकेशन</u> के तहत पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों यथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों का अपना पृथक–पृथक वेबसाईट का निर्माण होना है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर बेवसाईट निर्माण का कार्य 90% सम्पन्न हो चुका है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी नेशनल पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है।

<u>सर्विस प्लस एप्लीकेशन</u> के तहत तीन सेवाओं यथा– जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु पायलट बेसिस पर जिला–कटिहार का चयन कर इस एप्लीकेशन को क्रियान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

<u>नेशनल एसेट डायरेक्टरी एप्लीकेशन</u> में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर योजनाओं के संचालन के फलस्वरूप निर्मित परिसम्पतियों की Mapping की जानी है। इस एप्लीकेशन में जिला परिषद स्तर पर बी0आर0जी0एफ0 योजना के तहत निर्मित 7,520 परिसम्पतियों की Mapping की जा चुकी है।

<u>शेष पंचायत इन्टरप्राईज सूट के एप्लीकेशन</u> को लागू करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा एस0पी0एम0 के द्वारा इन गतिविधियों का गहन अनुश्रवण किया जा रहा है।

16. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापो के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान,

ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओ में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। तत्काल ₹1213.37 करोड़ (बारह अरब तेरह करोड़ सैतीस लाख रूपये) मात्र की राशि से 1435 (एक हजार चार सौ पैतीस) पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। वर्त्तमान में (दिनांक–24.03. 2015 तक) 1321 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है जिसमें से 210 पचांयत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, 749 पंचायत सरकार भवनों का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। अवशेष 476 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है। 114 पंचायत सरकार भवनों के लिए निविदा आमंत्रित नहीं हो पाई है।

17. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को दो तरह की राशि उपलब्ध करायी जाती है –

(क) राज्य के शुद्व करों के अंतरण से प्राप्त अनुदान राशि – इस राशि का व्यय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र यथा पेयजल, गाँव की कच्ची सड़कों की ब्रीक सोलिंग एवं नाला निर्माण, सड़कों, नालों, पोखरों, कुओं आदि की सफाई, मृत जानवरों एवं लावारिश लाशों के निष्पादन, पुस्तकालय को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण सड़कों पर सौर उर्जा लगाने में किया जाता है। परन्तु यदि एक प्रक्षेत्र में राशि की बचत होती है तो आवश्यकतानुसार दूसरी प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में व्यय किया जाता है। उच्च प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में किए गए व्ययों के अतिरिक्त बची हुई राशि पंचायती राज संस्थानों के अन्तर्गत जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाता है। इसके उपरान्त बची हुई राशि का व्यय पंचायती राज संस्थानों द्वारा अन्य विकास कार्यो के लिए किया जाता है।

(ख) असम्बद्व अनुदान राशि – पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत 38 जिला परिषदों, 531 पंचायत समितियों एवं 8398 ग्राम पंचायतों को प्रति संस्था क्रमशः ₹15.00 लाख, ₹1.00 लाख एवं ₹2.00 लाख की राशि असंबद्ध अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि का व्यय जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं पंचायतों के लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसके अन्तर्गत जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान हेतु ₹5068.30 लाख (पचास करोड़ अड़सठ लाख तीस हजार रूपये) मात्र की राशि विमुक्त की गयी है।

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अभी प्राप्त नहीं है, परन्तु पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु तत्काल ₹1014.16 करोड़ (दस अरब चौदह करोड़ सोलह लाख रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

18. उपलब्धि

(क) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा/हिंसात्मक घटना/दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये) मात्र की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में मृतक के आश्रित को दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस हेतु तत्काल ₹50.00 लाख (पचास लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

(ख) राज्य के ग्राम कचहरी के निर्वाचित सरपंचों को प्रतीक/प्रतीकात्मक आभरण न्याय पगड़ी के संधारण के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम कचहरी को न्याय पगड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिस हेतु राशि स्वीकृत एवं आवंटित की गयी है।

(ग) ई–पंचायत एम0एम0पी0 के कार्यान्वयन में वित्तीय वर्ष 2013–14 में पंचायती राज विभाग द्वारा किये गये उत्तम प्रयास के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को तृतीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

(घ) सूचना प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा में वित्तीय वर्ष 2014–15 में **E-Governance** क कार्यान्वयन मे उत्तम प्रयास हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ''**Best Implementation of National e-Governance Initiative''** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है।

(ड़) राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 2014 –

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्राम सभा के आयोजन में उत्कृष्ट कार्य हेतु ग्राम पंचायत–गरीबा, जिला–पूर्वी चम्पारण को ''राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 2014'' के लिए चयनित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार की राशि ₹10 लाख रूपये ग्राम पंचायत गरीबा को उपलब्ध करा दिया गया है।

(च) वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय हेतु चार–चार हजार रूपये की दर से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को कुल ₹671.84 लाख (छह करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय हेतु चार–चार हजार रूपये की दर से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को कुल ₹6.7184 करोड़ (छह करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

(छ) वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य की श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को पुरस्कार राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। तत्काल इस मद में ₹76.00 लाख (छिहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ज) वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तत्काल ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	531
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8398
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8398
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	115057
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8398
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11501
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1162
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	115057
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8398
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	5237
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	3161
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	0
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7474
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	528

परिशिष्ट – 2

योजना

क्र०	योजना का नाम	2014–15 में कर्णांकित राशि (लाख रूपये में)	2015–16 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम	₹ 40000.00	₹ 272.02
2	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹ 19500.00	₹ 17500.00
3	वाह्य सम्पोषित परियोजना(विश्व बैंक सहायता)	₹ 0.00	₹ 61838.00
5	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	₹ 1375.00	₹ 2500.00
6	टास्क फोर्स का गठन	₹ 0.60	₹ 0.00
7	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹ 50000.00	₹ 0.00
8	ग्राम कचहरी को किराया	₹ 400.00	₹ 400.00
9	विभाग का आधुनिकीकरण	₹ 615.60	₹ 0.01
10	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	₹ 7509.90	₹ 18920.99
11	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹ 335.92	₹ 335.92
12	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹ 335.92	₹ 335.92
13	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को पुरस्कार	₹ 0.00	₹ 76.00
14	कम्पयूटर आपरेटर का मानदेय	₹ 0.00	₹ 1000.00
15	अनुग्रह अनुदान	₹ 0.00	₹ 50.00
कुल :–		**₹ 120072.94**	**₹ 103228.86**
		(बारह अरब बहत्तर लाख चौरानबे हजार रुपये) मात्र	**(दस अरब बत्तीस करोड़ अट्ठाईस लाख छियासी हजार रुपये) मात्र**

परिशिष्ट – 3

गैर योजना

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2014–15 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)	2015–16 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 28470.48	₹ 31636.04
2.	तेरहवाँ / चौदहवाँ वित्त आयोग	₹ 180232.00	₹ 226918.00
3	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 100509.00	₹ 101416.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन			
5.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 210.03	₹ 218.40
6.	पंचायत निर्वाचन	₹ 2000.00	₹ 700.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
7.	स्थापना	₹ 126.84	₹ 124.87
	कुल :–	**₹ 311548.35**	**₹ 361013.31**
		इकतीस अरब पन्द्रह करोड़ अड़तालीस लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र	**छत्तीस अरब दस करोड़ तेरह लाख इकतीस हजार रूपये मात्र**

वर्ष 2015–16 का कुल योग (योजना + गैर योजना)

₹103228.86 + ₹361013.31 = ₹464242.17

(छियालीस अरब बयालीस करोड़ बयालीस लाख सतरह हजार रूपये) मात्र

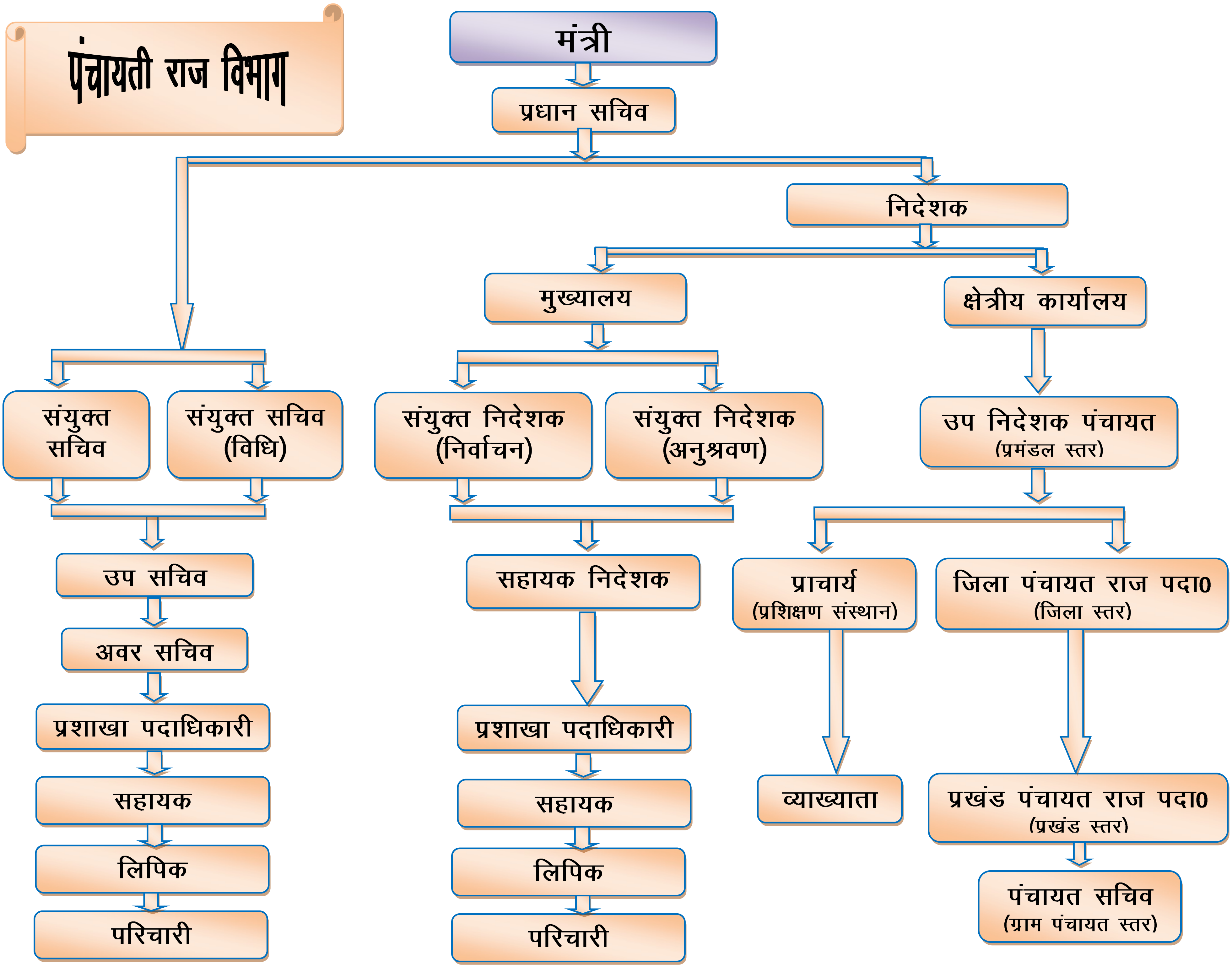
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव (विधि)
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
(प्रमंडल स्तर)
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदाधिकारी
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
(प्रशिक्षण संस्थान)
व्याख्याता
जिला पंचायत राज पदा0
(जिला स्तर)
प्रखंड पंचायत राज पदा0
(प्रखंड स्तर)
पंचायत सचिव
(ग्राम पंचायत स्तर)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रधान सचिव/सचिव	1	1	0
2	निदेशक	1	0	1
3	संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव	1	0	1
4	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)	1	0	1
5	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)	1	0	1
6	उप सचिव	3	1	2
7	अनुश्रवण पदाधिकारी	1	1	0
8	सहायक निदेशक	1	0	1
9	अवर सचिव	3	0	3
10	उपराज्य आयोजक	1	0	1
11	योजना पदाधिकारी	1	0	1
12	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	1	0	1
13	शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	1	0	1
14	विशेष कार्य पदाधिकारी	1	3	0
15	प्रशाखा पदाधिकारी	9	4	5
16	सहायक	34	23	11
17	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500) (संविदा पर)	1	2	0
18	प्रधान आप्त सचिव	1	1	0
19	आप्त सचिव	1	0	1
20	निजी सहायक	2	1	1
21	आशुलिपिक	2	0	2
22	सचिव के सचिव	1	0	1
23	उच्चवर्गीय लिपिक	8	5	3
24	निम्नवर्गीय लिपिक	12	2 +1	9 (बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0, पटना के 1 कर्मी प्रतिनियुक्त)
25	लेखापाल	1	1	0 (प्रभारी लिपिक)
26	रोकड़पाल	1	0	1

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत / सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5
27	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	2	1	1
28	प्रधान अनुदेशक	1	0	1
29	कलाकार–सह–संगणक	1	0	1
30	वाद्य अनुदेशक	1	0	1
31	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	5	19	0 (बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त)
32	चालक	2	0	2 (एक संविदा पर सेवा नि0 चालक कार्यरत)
33	अभिलेखवाह	1	0	पद समाप्त
34	ट्रेजरी सरकार	1	0	1 (एक कार्यालय परिवारी कार्यरत)
35	कार्यालय परिचारी	18	10 +2	6 (बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0, पटना के 2 कर्मी प्रतिनियुक्त)
36	जन शिकायत पदाधिकारी (सेवानिवृत्त अपर समाहर्त्ता संविदा पर)	1	1	0
37	प्रशाखा पदाधिकारी (जन शिकायत कोषांग) (सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी संविदा पर)	1	0	1
38	कार्यपालक सहायक (जन शिकायत कोषांग संविदा पर)	1	1	0
	कुल :–	**126**	**80**	**46**

नोट :– क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 19 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग